चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 19.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 19.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 18.08.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह द्वारा पुलिस लाइन में मंगलवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया तथा स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड के साथ दौड़ लगायी गयी । अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिसकर्मियों की ड्रिल का निरीक्षण किया बाद निरीक्षण अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा बारी

बारी ड्रिल करवाकर ड्रिल व शस्त्रों के बारे में बताया गया साथ ही जेटीसी कर रहे रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश दिए।तत्पश्चात पुलिस लाइन का भ्रमण कर क्वार्टर गार्द में सलामी ली गई तथा परिवहन शाखा, बैरिक, सीपीसी कैन्टीन,पुलिस मेस,स्टोर रूम व नव निर्मित भवन का निरीक्षण कर प्रतिसार निरीक्षक को जल्द से जल्द सुधार हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात महोदय द्वारा कर्मचारीगणों को अर्दली रुम किया गया। परेड के दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री रामशीष यादव उपस्थित रहें।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.शाहरूख अली पुत्र मोहम्मद अली उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम चकदेवपुर थाना राईया(कोतवाली ऊरई) जनपद जालौन 2.शोभित सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम जारैवा थाना बेनीगंज जनपद हरदोई को मय एक अदद विटारा ब्रेजा कार नं0 UP 92 AJ 2098 में रखे एक अदद पिट्ठू बैग व एक अदद झोले में कुल 21 किलो 930 ग्राम सूखा नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर उपरोक्त कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगी-

21 किलो 930 ग्राम सूखा गांजा

एक अदद विटारा ब्रेजा कार नं0 UP 92 AJ 2098

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी सरैया उ0नि0 श्री सत्यमपति त्रिपाठी
2.आरक्षी चालक विनोद यादव
3.आरक्षी राजीव सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री दुर्गविजय सिंह के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने 01 वांछित 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

(1). निरीक्षक अपराध अंजनी कुमार सिंह थाना मऊ मय हमराह मुख्य आरक्षी बृजेश यादव,मुख्य आरक्षी चालक राज कुमार द्वारा मु0अ0सं0 251/2025 धारा 69/351(3) बीएनएस के वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र लवलेश भारतीय निवासी ग्राम लोधौरा बरेठी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(2).उ0नि0 श्री वंशनारायण थाना मऊ मय हमराह आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा केश नं0 69/2023 अ0सं0 166/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के वारण्टी अभियुक्त प्रदुम गौतम पुत्र स्व0 सुरेन्द्र गौतम निवासी बाजार रोड ब्राह्मण टोला कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री आशुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 राहुल कुमार पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 54/2018 केश नं0 817/2020 धारा 147,148,332,353,504,506,34,307,427,336 भादवि0 के वारंटी अभियुक्ता 1.श्रीमती शिवपतिया पत्नी राममूरत 2. श्रीमती दुलरिया पत्नी मुन्ना कोल निवासीगण ग्राम पुराना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना बहिलपुरवा
2. महिला आरक्षी रेखा भारती

(7).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह एवं क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में थाना बरगढ़ पुलिस टीम द्वारा ग्लास फैक्ट्री सी0एफ0जी0 कम्पनी में लोहे के एंगिल की हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 आरोपी अभियुक्तों को 20 अदद एंगिल लोहा कुल वजन 325 किग्रा एवं घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा नं0 UP 96 T 6031 के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के नाम पता का विवरण-

1.अनूप आदिवासी पुत्र छेदीलाल निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट

2.अरुण उर्फ दादू पुत्र कैलाश आदिवासी निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट

3.मुनेन्द्र उर्फ भूक्कू चमार पुत्र मुन्नालाल चमार निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी का स्थान,दिनाँक व समयः-

कल्चिहा मोड़ बरगढ़,दिनाँक 18.08.2025,22.25 बजे

संक्षिप्त विवरणः-

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 18.08.2025 को वादी मुन्नीलाल पुत्र रामदास आदिवासी निवासी ग्राम सिंगल पुरवा मजरा कोलमजरा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि वह सीएफजी कम्पनी ग्लास फैक्ट्री बरगढ़ में प्राइवेट चौकीदार का काम करता है दिनांक 18.08.2025 को जब वह सुबह ड्यूटी पर गया तो देखा कि फैक्ट्री के अन्दर रखा लोहा वहाँ से गायब था मैने गेट की तरफ देखा तो ई-रिक्शा नं0 UP 96 T 6031 तेजी से गेट की तरफ जा रहा था मैने रोकने के लिये कहा तो 1.अनूप आदिवासी पुत्र छेदीलाल निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 2.अरुण उर्फ दादू पुत्र कैलाश आदिवासी निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 3.मुनेन्द्र उर्फ भूक्कू चमार पुत्र मुन्नालाल चमार निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट सभी ई-रिक्शा व बैटरी छोड़कर भाग गये जिसमें लोहा एंगिल लदा है जिन्हे चोरी करके ले जा रहे थे । इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 74/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 1.अनूप आदिवासी पुत्र छेदीलाल निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 2.अरुण उर्फ दादू पुत्र कैलाश आदिवासी निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 3.मुनेन्द्र उर्फ भूक्कू चमार पुत्र मुन्नालाल चमार निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ को चोरी की घटना के शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

दिनाँक 18.08.2025 को उ0नि0 राधेश्याम सिंह मय हमराहीगण घटनास्थल पर पहुंचकर ई-रिक्शा नं0 UP 96 T 6031 की तलाश किया परन्तु ग्लास फैक्ट्री के गेट के सामने ई-रिक्शा नही मिला तत्पश्चात जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुयी कि एक रिक्शा पर लोहे के कुछ एंगिल रखकर तीन व्यक्ति कल्चिहा मोड़ पर खडें है जो किसी कबाड़ी को बेचने की फिराक में है सूचना पर उ0नि0 राधेश्याम सिहं मय हमराहीगण कल्चीहा मोड़ के पास पहुंचे तो देखा की एक ई-रिक्शा खडा है जिसके आगे वाली सीट पर एक चालक सहित तीन व्यक्ति बैठे है। हिकमत अमली से रिक्शा से उतारकर तीनो का नाम पता पूछा गया तो तीनो ने अपना नाम क्रमश: 1. अनूप आदिवासी पुत्र छेदीलाल निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 2.अरुण उर्फ दादू पुत्र कैलाश आदिवासी निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट 3.मुनेन्द्र उर्फ भूक्कू चमार पुत्र मुन्नालाल चमार निवासी कल्चिहा थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट बताया। तत्पश्चात ई-

रिक्शा में लदे एंगिल लोहा के बारे में पूछा गया तीनों ने अपनी गलती की माफी मांगते हुये बताया कि फैक्ट्री कल्चीहा से ये लोहा चोरी किये है। पूर्ण विश्वास हो जाने पर कि मुकदमा उपरोक्त से सम्वन्धित माल व मुल्जिम तथा घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा नं0 UP 96 T 6031 ही है। तत्पश्चात अपराध बोध से अवगत कराकर तीनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. चौकी प्रभारी हरदीकलॉ थाना बरगढ़ उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह
2.उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार
3. म0आ0 अनीता पटेल

(8).श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त तथा मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 19.08.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 95/2020 धारा 452,323,504,506 आईपीसी व 08 पॉक्सो एक्ट के आरोपी श्रवण कुमार पुत्र स्व0 बलवीर रैदास निवासी चकजाफर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष का कठोर कारावास व 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 29.02.2020 को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत एक वादी द्वारा थाना कोतवाली र्वी पर सूचना दी कि अभियुक्त श्रवण कुमार उपरोक्त द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को पकड़कर अश्लील हरकत करना तथा वादी के पहुचनें पर गाली गलौच , मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे कर भाग जाना । इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 95/2020 धारा 452,323,504,506 आईपीसी व 08 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 प्रभुनाथ यादव द्वारा सम्पादित की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 30.03.2020 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

प्रेसनोट- चित्रकूट पुलिस
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी चित्रकूट की उपस्थिति में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा इसके सेवन से उत्पन्न दुष्प्रभावों के प्रति आम जनमानस(विशेषकर युवा पीढ़ी) को जागरूक करने के सम्वन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चन्द्र निगम चित्रकूट की उपस्थिति में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा इसके सेवन से उत्पन्न दुष्प्रभावों के प्रति आम जनमानस(विशेषकर युवा पीढ़ी) को जागरूक करने के सम्वन्ध में एक महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुयी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही सुनिश्चित करना तथा इसके सेवन से उत्पन्न दुष्प्रभावों के प्रति आम जनमानस विशेषकर युवा पीढ़ी को जागरूक करना रहा। बैठक में नशीली दवाओं के सेवन के आदी युवाओं/ व्यक्तियों के उचित इलाज एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने एवं जनपद में नारकोटिक्स ड्रग्स के दुरुपयोग को रोकने हेतु मेडीकल स्टोर/अनुज्ञापनधारी डॉक्टर के प्रेशक्रीप्सन पर ही दवा देने के बिन्दुओ पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नशा समाज और युवा वर्ग के भविष्य को बर्बाद करता है, अतः इसकी रोकथाम हेतु सभी को संयुक्त रूप से प्रयास करना होगा। उन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी एवं अवैध व्यापार पर कठोर कार्रवाई करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उपजिलाधिकारी सदर सुश्री पूजा साहू,क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द वर्मा, क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली एवं समस्त थाना प्रभारी में उपस्थित रहे।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की अध्यक्षता में राघव प्रेक्षागार पुलिस कार्यालय में अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया

दिनाँक-19.08.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध समीक्षा गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा मीटिंग में उपस्थित सभी थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

अपराध समीक्षा गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गयेः-

(i). भादवि0 के अपराध तीन वर्षीय तुलनात्मक मासिक/प्रगतिशील विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(ii). अधिनियम के तीन वर्षीय तुलनात्मक विवेचनाओं से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(iii). प्रचलित अभियानो के सम्वन्ध मे चर्चा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(IV). 03 माह से अधिक लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(V) हिस्ट्रीशीट खोलने/नष्ट करने हेतु निर्देशित किया।

(VI) भारी संख्या मे लंबित आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय में एक सप्ताह के अंदर दाखिल करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

(VII). गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्य़वाही करने हेतु निर्देश।

(VIII). हत्या/लूट/चोरी/नकबजनी के अनावरण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(IX). 07 वर्षों से अधिक सजा के अभियोगों के कार्यवाही के शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।

(x). 363, 366 भादवि0/137(2), 87 बीएनएस के बरामदगी हेतु शेष लम्बित अभियोगों के निस्तारण करने हेतु निर्देश।

(xi). एनसीआर व एफआईआर के आरोप पत्र/अंतिम पत्र दाखिला सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(xii). आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित लम्बित अभियोगों के निस्तारण सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देश।

(xiii). थाना स्थानीय पर लंम्बित चरित्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xiv). दर्पण डैसबोर्ड की रैकिंग के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xv). माल निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

(xvi). सड़क दुर्घटना से सम्वन्धित पुलिस फार्म FAR, IAR, DAR के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

(xvii)क्राइम अगेस्ट वुमेन पोर्टल में लम्बित विवेचनाओं के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये।

गोष्ठी में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली, क्षेत्राधिकारी लाइन श्री यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविंद कुमार वर्मा,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामशीष यादव, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री राजीव कुमार सिंह,यातायात प्रभारी श्री शैलेन्द्र सिंह व पीआरओ श्री प्रदीप पाल एवं समस्त थाना,चौकी/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।